

कुलसचिव
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

10

पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 2194 / 06-249-प्र.अनु.-2014 / 2014, दिनांक 12 मार्च, 2014
सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0एन0बी0 मेमोरियल महिला महाविद्यालय,
नसीरपुर मठ, कोटवा, नारायनपुर,
बलिया।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 06.03.2014 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2 (85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पौंच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ0 राजेन्द्र राय	श्री हरिहर राय	01.01.1958	पी0एच0डी0	विभागाध्यक्ष बी0एड0
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता	03.01.1979	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
3.	कु0 रंजना गौतम	श्री रामदेव कुरेल	25.05.1989	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
4.	श्री संतोष कुमार	श्री बिहारी लाल	01.01.1986	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
5.	श्री राय साहब यादव	श्री राम अचल यादव	15.07.1986	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
6.	श्री राम धीरज यादव	श्री श्याम अवध यादव	24.03.1983	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
7.	श्री प्रदीप चौहान	श्री बैजनाथ चौहान	01.01.1982	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
8.	श्री अनिल कुमार सिंह	स्व0 रामनाथ सिंह	18.07.1978	नेट	प्रवक्ता बी0एड0

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव